न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट सीकरी (डीग)

निर्णय दिनांकः 01.10.2024

पीठासीन अधिकारीः सृष्टि जैन (आर.ए.एस.)

वाद संख्याः 42/2024

कूडीराम पुत्र मेडीराम, उम्र 58 वर्ष जाति जाटव, निवासी ग्राम पुनाय तहसील सीकरी जिला डीग

———प्रार्थी

बनाम

रेखा पत्नि सुरेश जाति जाटव, निवासी ग्राम पुनाय, तहसील सीकरी जिला डीग।

———अप्रार्थीया

<u>प्रार्थना पत्र अंतर्गत 4 व 5 बाबत भरण पोषण हेतु माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007</u>

उपस्थितः–

1. श्री रामनरेश यादव अधिवक्ता प्रार्थी।
2. श्री केदारनाथ गर्ग अधिवक्ता अप्रार्थीया।

निर्णय

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने इस आशय का संस्थित किया कि प्रार्थी का पुत्र सुरेश अध्यापक के पद पर कार्यरत था जो मुझ प्रार्थी एवं सम्पूर्ण परिवार का देखभाल, सार संभाल करता था तथा हमारा पूर्णतः भरण पोषण करता था तथा ईलाज आदि भी कराता था। प्रार्थी के पुत्र सुरेश की मृत्यू दिनांक 18.09.2022 को हो गई थी पुत्र सुरेश की मृत्यू के उपरांत पुत्र सुरेश की पत्नि यानि पुत्रवधु अप्रार्थी रेखा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियुक्त हो गई थी। पुत्र सुरेश की मृत्यू के बाद मिली समस्त राशि 1.50 करोड रूपये को भी अप्रार्थी रेखा द्वारा अपने पास रख लिया गया है। प्रार्थी उमरदराज विदुर एवं रोगों से ग्रसित व्यक्ति है अपने जीवन को चलाने के लिए बुजुर्ग होने पर शून्य आय होने के कारण अपना जीवन निर्वाह हेतु रोटी, कपडा मकान तथा चिकित्सकीय उपचार आदि कराना असम्भव हो रहा है, हालांकि प्रार्थी के 3 पुत्रीया व एक पुत्र है। तीनों पुत्रीयों का प्रार्थी द्वारा विवाह कर दिया गया है प्रार्थी का पुत्र अभी अविवाहित है तथा बेरोजगार है। प्रार्थी की माली हालत खराब है। अप्रार्थी रेखा ने प्रार्थी के मकान पर ताला लगाकर प्रार्थी व उसके अविवाहित पुत्र को घर से बेघर कर रखा है तथा अप्रार्थी रेखा द्वारा प्रार्थी की तीनों पुत्रीयों को ना तो कोई भात छोछक देती है और ना ही उनका कोई मान–सम्मान रखती है। पिछले एक माह प्रार्थी की नमासी की शादी में अप्रार्थीया द्वारा कोई एक भी पैसा का सहयोग नहीं किया जिस पर प्रार्थी द्वारा कर्ज लेकर नमासी के

उपखण्ड अधिकारी
सीकरी (डीग) राज०

pg. 237

भात की व्यवस्था की। प्रार्थी की आर्थिक स्थिति सही नहीं है और प्रार्थी की पत्नि भी फौत हो चुकी है। प्रार्थी को खाने पीने कपडे लत्ते दूध साग सब्जी तथा बीमारी के ईलाज हेतु करीब 10 हजार रूपये प्रतिमाह का खर्च होता है। तथा प्रार्थी के पास आय का कोई स्त्रोत नहीं है जिस कारण प्रार्थी अपना भरण पोषण करने के लिए अप्रार्थीया से 10 हजार रूपये प्रतिमाह भरण पोषण पाने का अधिकारी है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थीया को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीया की ओर से दिनांक 06.08.2024 को जबाब प्रार्थना पत्र व दस्तावेजात पेश किये गये। अप्रार्थीया ने अपने जबाब में कथन किया कि प्रार्थी के तीन पुत्र महेश, सुरेश व सन्ति हैं तथा तीन पुत्रीयां व पत्नि है। जिनमें महेश की शादी राजबाला से हुई, जिसके नुत्फे से दो लडके तथा सुरेश की शादी अप्रार्थीया से हुई जिसके दो लडकी हुई। सुरेश अध्यापक थे। तथा सन्ति की शादी नहीं हुई। ग्राम पुनाय में प्रार्थी के नाम एक रिहायसी मकान है जिसका निर्माण अप्रार्थीया के पति ने करवाया था। अप्रार्थीया की मृत्यू के बाद न्यायालय द्वारा जारी किया गया क्लेम में भी प्रार्थी को नियमानुसार हिस्सा दे दिया गया है। जिसके दस्तावेजात प्रार्थीया ने अपने जबाब के साथ प्रस्तुत किये हैं। प्रार्थी ने सुरेश की मृत्यू के पश्चात 3 प्लॉट बेच दिये हैं जिनकी कीमत लगभग 30 लाख रूपये थी, एवं अपने पुत्र सन्ति के नाम कस्बा सीकरी में मकान का निर्माण करवाया गया है। प्रार्थी की पेशन भी आ रही है। प्रार्थी अपनी सारी जायदाद अपने पुत्र सन्ति के नाम कराना चाहता है। प्रार्थी व उसके पुत्र सन्ति ने अप्रार्थी व उसकी बहन मृतक महेश की पत्नि को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया, जिससे दोनों बहनें अपने पीहर ग्राम शीतल में रहने के लिए विवश हैं। हम दोनो बहनों के पांच बच्चे हैं जिनकी लालन पालन हम ही करते हैं। प्रार्थी द्वारा निर्मित मकान का किराया प्रार्थी ले रहा है अतः प्रार्थी का प्रकरण विधिवत रूप से भरण पोषण अधिनियम 2007 के अंतर्गत नहीं होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। प्रार्थी से अप्रार्थी व राजबाला का भरण पोषण एव बच्चों की शिक्षा हेतु 10,000/– रूपये अलग–अलग प्रतिमाह दिलाया जावे तथा रिहायसी मकान व दो प्लॉट व सीकरी में आलीशान मकान में से रिहायसी मकान में रहने के आदेश प्रदान किये जावें।

गत तारीख पेशी पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी को खाने पीने कपडे लत्ते दूध साग सब्जी तथा बीमारी के ईलाज हेतु करीब 10 हजार रूपये प्रतिमाह का खर्च होता है। तथा प्रार्थी के पास आय का कोई स्त्रोत नहीं है जिस कारण प्रार्थी को अपना भरण पोषण करने के लिए अप्रार्थीया से 10 हजार रूपये प्रतिमाह दिलाया जाने के आदेश प्रदान किये जावें। वकील अप्रार्थीया ने कथन किया कि प्रार्थी को मृतक सुरेश की मृत्यू के उपरान्त क्लेम में नियमानुसार हिस्सा दिया जा चुका है। प्रार्थी की पेंशन आती है एवं सीकरी कस्बे में मकान का किराया आ रहा है एवं ग्राम पुनाय में रिहायसी मकान प्रार्थी के नाम दर्ज रिकार्ड है एवं प्रार्थी पुत्रवधु से भरण पोषण प्राप्त करने का विधिवत अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को खारिज फरमाया जाकर अप्रार्थीया को प्रार्थी की सम्पत्ति में रहने के आदेश प्रदान किये जावें।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सीकरी (डीग) राज० सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
सीकरी (डीग) राज०

इस प्रकार संपूर्ण पत्रावली अवलोकन अध्ययन व मनन किया जाकर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी के एक व्यस्क पुत्र होने के बावजूद अपनी पुत्रवधू से भरण पोषण चाहने हेतु प्रस्तुत किया है जोकि विधिसम्मत नहीं है एवं प्रार्थी को अपने मृतक पुत्र की मृत्यू के उपरान्त मिले क्लेम में से नियमानुसार हिस्सा प्राप्त हो चुका है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र अंतर्गत 4 व 5 बाबत भरण पोषण हेतु माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 विधि सम्मत नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है प्रार्थी सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने व्यस्क पुत्र से भरण पोषण प्राप्त करने की कार्यवाही कर सकता है एवं अप्रार्थी निवास स्थान हेतु सक्षम न्यायालय के समक्ष कार्यवाही हेतु स्वतंत्र है। निर्णय आज दिनांक 01.10.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय की प्रति तहसीलदार सीकरी को वास्ते पालनार्थ प्रेषित की जावे।

(सृष्टि जैन)
उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सीकरी (डीग)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सीकरी (डीग) राज० सत्यमेव जयते